न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर (जिला–अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व अपील संख्या 7/2012

उनवान

श्रीमती अमराव पुत्री स्वर्गीय श्री मोती जी पत्नी श्री जोरा जी आयु 65 साल जाति ठाकर (चीता) हाल निवासी ग्राम काशीपुरा वाया खरवा तहसील मसूदा जिला अजमेर

बनाम

1. भॅवरी पत्नी श्री बन्ना जी पुत्री स्व0 श्री कालू जी आयु 55 साल निवासी ग्राम सेदरिया पर्वतपुरा बाईपास अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्व भू अधिनियम

आदेश

दिनांक :– 23.12.2019

पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष वकिल उपस्थित । जिन्हे राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम पर सुना गया । अपीलान्ट अभिभाषक ने दौरान बहस मे निवेदन किया गया कि अपीलार्थी 65 वर्षीय वृद्व महिला है जो वर्तमान में अपने परित के साथ ग्राम काशीपुरा वाया खरवा तहसील मसूदा में निवास कर रही है। प्रार्थीया के पिता श्री माती पुत्र श्री दूला जी का स्वर्गवास हो चुका है जिन्होने अपनी मृत्यु के बाद ग्राम मुहामी तहसील अजमेर में खाता नंबर 265 खसरा नम्बर 1663, 1766, 1884, 1889 कुल रकबा पॉच बीघा उन्नसी बिस्वा छोडी है । प्रार्थीया/अपीलार्थीया के पिता श्री माती वल्द दूला अपनी मृत्यु से पूर्व तक उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पर तन्हा रूप से मालिक व काबिज रहे है जो उनकी मृत्यु से पूर्व तक राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थीया के पिता स्वगीय श्री मोती वल्द दूला के नाम अंकन रही । अपीलार्थीया के पिता श्री मोती के देहान्त के बाद अपीलार्थीया के अलावा अपीलार्थीया का एक अन्य भाई कालू स्वर्गीय श्री माती जी के विधिक वारिसान रहे एवं अपीलार्थीया की माता श्रीमती राजी व अपीलार्थीया के पिता श्री मोती जी का देहान्त के बाद उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि अपीलार्थीया व उसका भाई कालू बराबर बराबर सम्मितलित रूप से मालिक व काबिज हुए। अपीलार्थीया के पिता के देहान्त के बाद अपीलार्थीया के भाई स्वर्गीय श्री कालू ने तथ्यों को छुपाकर प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष गलत तथ्य प्रकट करते हुए

Scanned by CamScanner

र्थीया के पिता श्री मोती द्वारा छोडी गई उक्त कृषि भूमि को राजस्व रेकार्ड में ने अकेले के नाम नामान्तरित करवा लिया जो कि राजस्व रेकार्ड में जरिये नामान्तकरण संख्या 3 दिनांक 22.6.1995 को अपीलार्थीया के स्वर्गीय भाई श्री कालू पुत्र श्री मोतीजी के नाम नामान्तरित हुई जब कि अपीलार्थीया के पिता श्री मोतीजी ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने किसी भी विधिक वारिसान के पक्ष में उक्त कृषि भूमि बाबत किसी भी प्रकार का कोई वसीयतनामा या अन्य कोई दस्तावेज निष्पादित नही किया ना ही स्वर्गीय श्री मोतीजी ने अपने जीवनकाल में अपने किसी विधिक वारिसान के पक्ष में उक्त कृषि भूमि का किसी प्रकार से विभाजन ही किया इसके बावजूद भी अपीलार्थीया के स्वर्गीय भाई श्री कालू ने स्वर्गीय श्री मोती जी का अपने आपको अकेला विधिक वारिसान प्रदर्शित करते हुए उक्त कृषि भूमि का अपने नाम नामान्तकरण करवा लिया जबकि अपीलार्थीया स्वगर्गीय श्री मोती जी पुत्र श्री दूला जी के जाईन्दा संतान होकर उनकी विधिक वारिसान होने की हैसियत से उक्त कृषि भूमि में 1/2 हिस्से की सहहिस्सेदार है। अपीलार्थीया के भाई का देहान्त आज से करीब चार वर्ष पूर्व हो चुका है एवं श्री कालू की पत्नी श्रीमती शकीना का देहान्त पांच वर्ष पूर्व हो चुका है। प्रत्यर्थी संख्या 1 जो कि अपीलार्थीया के भाई श्री कालू की एक मात्र संतान है ने अपने पिता श्री कालू के देहान्त के बाद राजस्व रेकार्ड में उक्त कृषि भूमि अपने नाम नामान्तरित करवा ली जो कि प्रत्यर्थी संख्या 2 के आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 1146 दिनांक 5.8.2011 को नामान्तरित हुई। अपीलार्थीया के पिता व माता के देहान्त के बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता श्री कालू ने उक्त कृषि भूमि में अपीलार्थीया का 1/2 हिस्सा हडप करने व अपने आपको एक मात्र स्वर्गीय मोतीजी का विधिक वारिस बताकर राजस्व रेकार्ड में उक्त कृषि को अपने नामा नामान्तरित करवा ली एवं श्री कालू के देहान्त के बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने आपको श्री कालू की विधि वारिस बताकर राजस्व रेकार्ड में अपने नाम नामान्तरित करवा ली जबकि उक्त कृषि भूमि में आज भी अपीलार्थीया का स्वर्गीय श्री मोती पुत्र दुला जी की विधिक वारिस व जाईन्दा संतान होने की हैसियत से 1/2 हिस्सा कायम है एवं आज भी अपीलार्थीया अपने पिता श्री मोतीजी के देहान्त के बाद से ही उक्त वर्णित कृषि भूमि में काबिज रहकर काश्त करती आ रही है। इस प्रकार अपीलार्थीया के स्वर्गीय भाई श्री कालू पुत्र श्री मोती द्वारा अपीलार्थीया के पिता श्री मोती पुत्र श्री दूला ही के देहान्त के बाद तथ्यों को छुपाकर अपने आपको स्वर्गीय मोती का एक मात्र विधिक वारिस बताते हुए एवं अपीलार्थीया के भाई श्री कालू के देहान्त के बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 के द्वारा उक्त समस्त तथ्यो को छुपाकर राजस्व रेकार्ड में अपील में वर्णित चरण संख्या 2 में वर्णित आराजी कृषि भूमि से सबंधित अपीलार्थीया के भाई श्री कालू के हक में हुए नामान्तकरण संख्या 3दिनांक 22.6.1995 एवं श्री कालू के देहान्त के बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा उक्त कृषि भूमि के कम में करवाया गया नामान्तकरण संख्या 1146 दिनांक 5.8.2011 निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अपीलार्थीया को विगत दिनों यह जानकारी हुई कि

अधिकारी

Scanned by CamScanner

संख्या 1 उक्त कृषि भूमि में अपीलार्थीया को 1/2 हिस्सा दिये विना ही कृषि भूमि पर अपने अपीलार्थीया को 1/2 हिस्सा दिये विना ही उक्त कृषि भूमि पर अपने आपको अकेले मालिक बताकर उक्त कृषि भूमि का बेचान करने पर आमादा है जिस पर अपीलार्थीया द्वारा उक्त कृषि भूमि से सवंधित राजस्व रेकार्ड (जमाबंदी) की नकल प्राप्त की गई जो अपीलार्थीया को दिनांक 7.5.2012 को प्राप्त होने पर उसका अवलोकन किये जाने के बाद अपीलार्थीया को तथ्यों को छुपाकर व गलत आधार पर स्वर्गीय श्री कालू पुत्र मोती एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा करवाये गये नामान्तकरण ने प्रत्यर्थी संख्या 1 से सम्पर्क कर उक्त कृषि भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को बेचान नही करने एवं राजस्व रेकार्ड में गलत आधारो पर तथ्यों को छुपाकर करवाये गये नामान्तकरण को निरस्त करवाने का अनुरोध किया । अतः अपीलान्ट अपीलार्थीया स्वीकार की जाकर अपील की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि से सबंधित राजस्व रेकार्ड में स्वर्गीय श्री कालू पुत्र मोती एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में हुए नामान्तकरण संख्या 3 दिनांक 2.6.1995 एवं नामान्तकरण संख्या 1146 दिनांक 5.8.2011 को निरस्त करने के आदेश व शून्य घोषित किये जाने के आदेश प्रदान करावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट एक की ओर से श्री निर्मल कुमार जैन अधिवक्ता उपस्थित आये।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि माननीय न्यायालय के समक्ष नामांतकरण संख्या 73 के स्थान पर 3 दिनांक 2.6.1995 एवं अपीलाधीन नामातकरण संख्या 1146 दिनांक 5.8.2011 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है। जबकि अपीलाधीन नामांतकरण में अपीलाधीन पक्षकार ही नही है ऐसी स्थिति में अपीलानार्थिय के द्वारा अपीलाधानी नमांतकरण के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने के संदर्भ में माननीय न्यायालय से अपील प्रस्तुत करने के सदंर्भ में अनुमति लिया जाना आवश्यक था परन्तु अपीलार्थिया के द्वारा अपीलाधीन नमान्तकरण के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने के संदर्भ में माननीय न्यायालस से कोई अनुमति प्राप्त ही नही की गई इस कारण अपीलार्थिया की अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थिया के द्वारा विवादित भूमि के संदर्भ में माननीय न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद संख्या 107/2012 अनतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया तथा इसी वाद में अपीलाधीन नामातकरण को भी चुनौती दी गई है उक्त स्थिाति में अपीलार्थी की उक्त अपील निरस्त किये जाने योग्य है। तथा अपीलार्थिया के द्वारा विवादित भूमि के संदर्भ में रेग्युलर वाद प्रस्तुत किया गया । जो न्यायालय सहायक कलक्टर (मु) अजमेर द्वारा दिनांक 19.11.2012 को अदम हाजरी में खारिज किया गया । अतः प्राथमिक आपत्ति आवेदन पत्र मय खर्चे अपील निरस्त किया जावे।

Scanned by CamScanner

वकील अपीलान्ट द्वारा आवेदन पत्र प्राथमिक आपत्ति की प्रति .क 28.9.2012 को प्राप्त किये जाने के बाद आज दिनांक तक उक्त प्राथमिक ापत्ति का कोई जबाव प्रस्तुत नही किया गया ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलार्थी द्वारा नामान्तकरण संख्या 3 दिनांक 2.6.95 एवं नामान्तकरण संख्या 1146 दिनांक 5.8.2011 दो भिन्न–भिन्न नामान्तकरण की एक ही अपील प्रस्तुत की गई है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि दो नामान्तकरण अथवा दो आदेशो के एक अपील नही हो सकती इस सबंध में 2013 (1) आरआरटी 659 न्यायिक दृष्टांत सुसंगत है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि दो आदेश की एक अपील संधारण योग्य नही है, एवं अपीलार्थी द्वारा आक्षेपित नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नही की गई है । रेस्पोडेन्ट आपत्तिकर्त्ता की विधिक आपत्ति न्यायोचित व उचित है। अपील अपीलान्ट की अपील इसी कानूनी बिन्दु पर खारिज योग्य है। इसके अलावा अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है एवं ना ही अपील प्रस्तुति की स्वीकृति ली गई इस कानूनी प्रावधान के अन्तर्गत भी अपील संधारण योग्य नही है। अतः रेस्पोडेन्ट आपत्तिकर्त्ता का प्रार्थना पत्र दिनांक 28.8.2012 स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किए जाने योग्य है।

परिणामतः उपरोक्त विवेचन विषलेषण अनुसार अपील अपीलान्ट अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम अस्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 23.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

डॉ0 आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Artika Shukla
Date: 2019.12.26 13:38:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: